सत्यमेव जयते

राजस्थान शासन

आय-व्ययक एक दृष्टि में

Budget At A Glance

2015-16

सत्यमेव जयते

राजस्थान शासन

आय–व्ययक एक दृष्टि में
Budget At A Glance

2015-16

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS, RAJASTHAN, JAIPUR

आय–व्ययक एक दृष्टि में
BUDGET AT A GLANCE
2015-16

(₹ लाख / Lakh)

	लेखा शीर्ष Head of Account	लेखे Accounts 2013-14	आय–व्ययक अनुमान (परि.) B.E. (Modi.) 2014-15	संशोधित अनुमान R.E. 2014-15	आय–व्ययक अनुमान B.E. 2015-16
	1	2	3	4	5
1	**राजस्व प्राप्तियां** **Revenue Receipts**	**7447037.46**	**10612467.00**	**9666832.79**	**11136166.31**
(अ)	राज्य के कर राजस्व State's Tax Revenue	3347769.91	4065495.81	3978687.56	4709604.61
(ब)	अ–कर राजस्व Non-Tax Revenue	1357524.91	1493861.06	1346849.46	1549599.51
(स)	केन्द्रीय करों में अंश Share in central Taxes	1867307.07	2275554.00	1981714.00	2892483.00
(द)	सहायतार्थ अनुदान Grants-in-aid	874435.57	2777556.13	2359581.77	1984479.19
2	**पूंजीगत प्राप्तियां** **Capital Receipts**	**1967980.94**	**2215132.94**	**2954604.98**	**2652602.78**
(अ)	ऋणों की वसूली Recovery of Loans	31553.00	15143.37	102066.06	90353.50
(ब)	अन्य प्राप्तियां Misc. Receipts	1027.09	800.00	800.00	800.00
(स)	उधार एवं अन्य देनदारियां Borrowings & other Liabilities	1935400.85	2199189.57	2821738.92	2561449.28
	(इसमें से पुनर्भुगतान) (of which repayments)	(411562.16)	(495689.02)	(495089.19)	(483043.68)
(द)	आकस्मिकता निधि Contingency Fund	0.00	0.00	30000.00	0.00
2.1	**शुद्ध उधार** **Net Borrowing**	**1523838.69**	**1703500.55**	**2326649.73**	**2078405.60**
3	**कुल प्राप्तियां (1+2)** **Total Receipts**	**9415018.40**	**12827599.94**	**12621437.77**	**13788769.09**
4	**आयोजना भिन्न व्यय** **Non-plan Expenditure**	**6239587.07**	**7431163.30**	**7430038.18**	**8039061.76**
(अ)	राजस्व खाते से On Revenue Account	5814525.84	6930175.44	6926826.56	7556072.74
	(ब्याज की अदायगी) (of which Interest Payment)	(906319.72)	(1047036.08)	(1052518.24)	(1196209.31)
(ब)	पूंजीगत खाते से On Capital Account	425061.23	500987.86	503211.62	482989.02

क्रमशः / Contd…

आय–व्ययक एक दृष्टि में
BUDGET AT A GLANCE
2015-16

(₹ लाख / Lakh)

	लेखा शीर्ष Head of Account	लेखे Accounts 2013-14	आय–व्ययक अनुमान (परि.) B.E. (Modi.) 2014-15	संशोधित अनुमान R.E. 2014-15	आय–व्ययक अनुमान B.E. 2015-16
	1	2	3	4	5
5	**आयोजना व्यय** **Plan Expenditure**	**2910965.15**	**5711526.15**	**5151124.71**	**5732277.10**
(अ)	राजस्व खाते से On Revenue Account	1515339.28	3608543.53	3161967.10	3524412.01
(ब)	पूंजीगत खाते से On Capital Account	1395625.87	2102982.62	1989157.61	2207865.09
6	**केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय** **C. S. S. Expenditure**	**259555.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(अ)	राजस्व खाते से On Revenue Account	221093.52	0.00	0.00	0.00
(ब)	पूंजीगत खाते से On Capital Account	38462.17	0.00	0.00	0.00
7	**कुल व्यय (4+5+6)** **Total Expenditure**	**9410107.91**	**13142689.45**	**12611162.89**	**13771338.86**
(अ)	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	7550958.64	10538718.97	10088793.66	11080484.75
(ब)	पूंजीगत व्यय Capital Expenditure	1859149.27	2603970.48	2492369.23	2690854.11
(स)	आकस्मिकता निधि का विनियोग Appropiation to Contingency Fund	0.00	0.00	30000.00	0.00
8	**राजस्व घाटा / आधिक्य (1–7अ)** **Revenue Deficit / Surplus**	**-103921.18**	**73748.03**	**-421960.87**	**55681.56**
	(जिसमें से गैर आयोजना राजस्व घाटा/आधिक्य) (of which Non-plan Revenue Deficit / Surplus)	(1111732.82)	(1423172.76)	(881617.22)	(1959237.82)
9	**बजट घाटा /आधिक्य (3–7)** **Budgetary Deficit / Surplus**	**4910.49**	**-315089.51**	**10274.88**	**17430.23**
10	**राजकोषीय घाटा** **Fiscal Deficit**	**-1518928.20**	**-2018590.06**	**-2316374.85**	**-2060975.37**
11	**प्रारम्भिक घाटा/आधिक्य** **Primary Deficit / Surplus**	**-612608.48**	**-971553.98**	**-1263856.61**	**-864766.06**

आय व्ययक एक दृष्टि में
BUDGET AT A GLANCE

₹ करोड़ / Crore

प्राप्तियाँ RECEIPTS

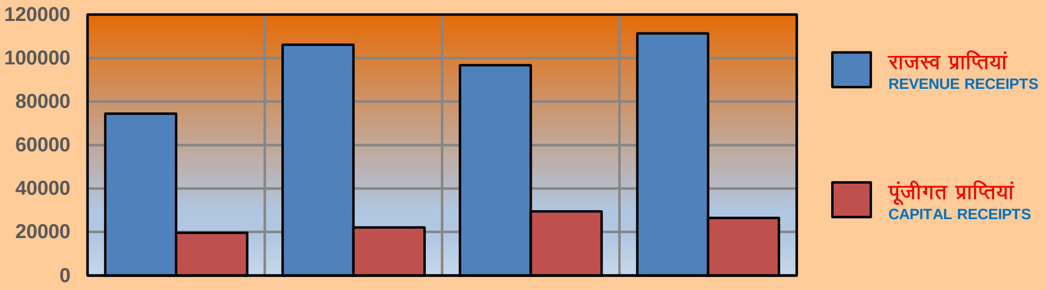

व्यय EXPENDITURE

₹ करोड़ / Crore

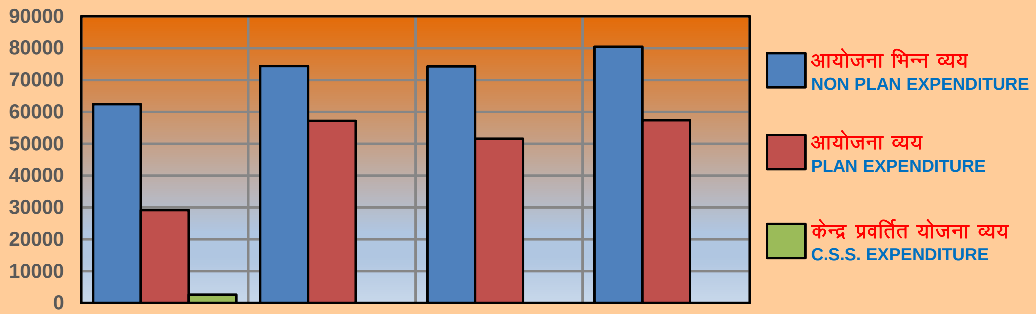

घाटा / आधिक्य DEFICIT / SURPLUS

₹ करोड़ / Crore

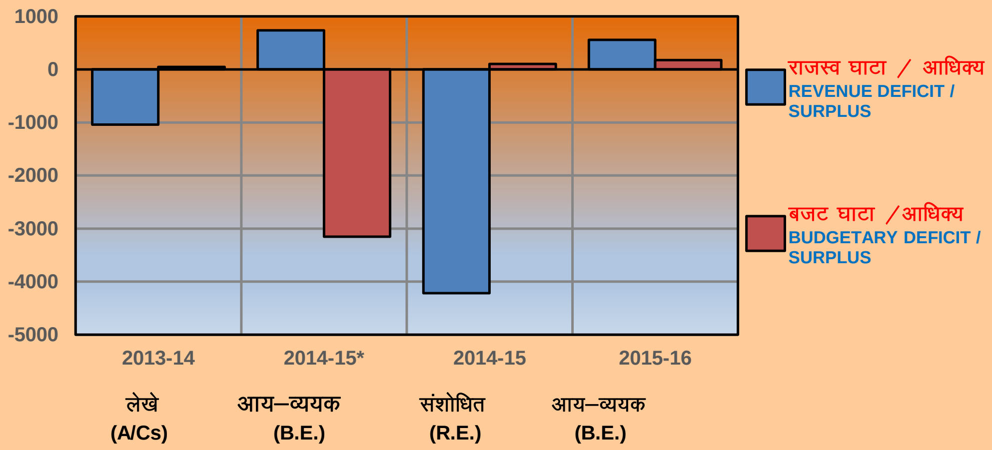

* परिवर्तित / Modified

रुपया आता है
RUPEE COMES FROM

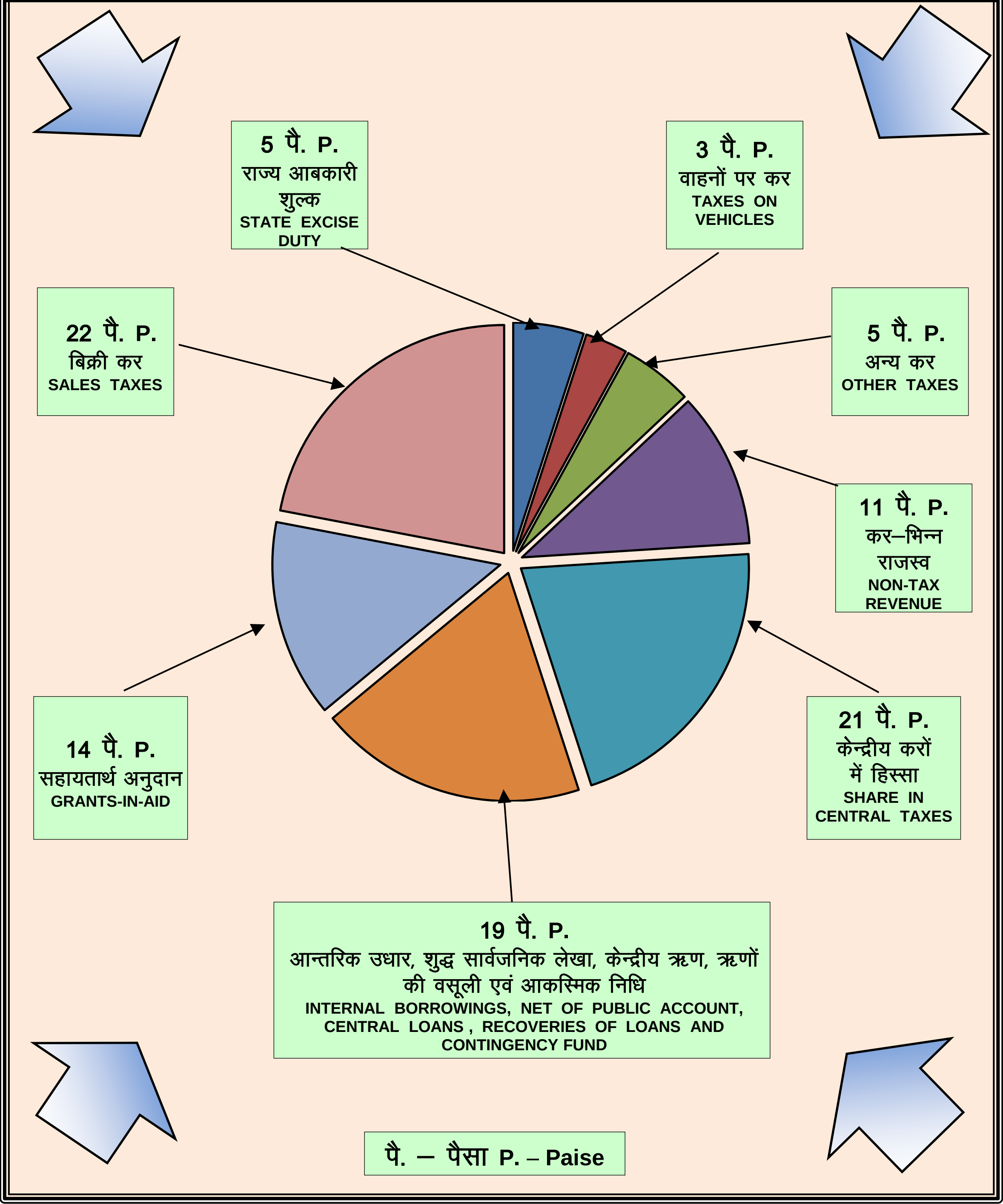

रुपया जाता है
RUPEE GOES TO

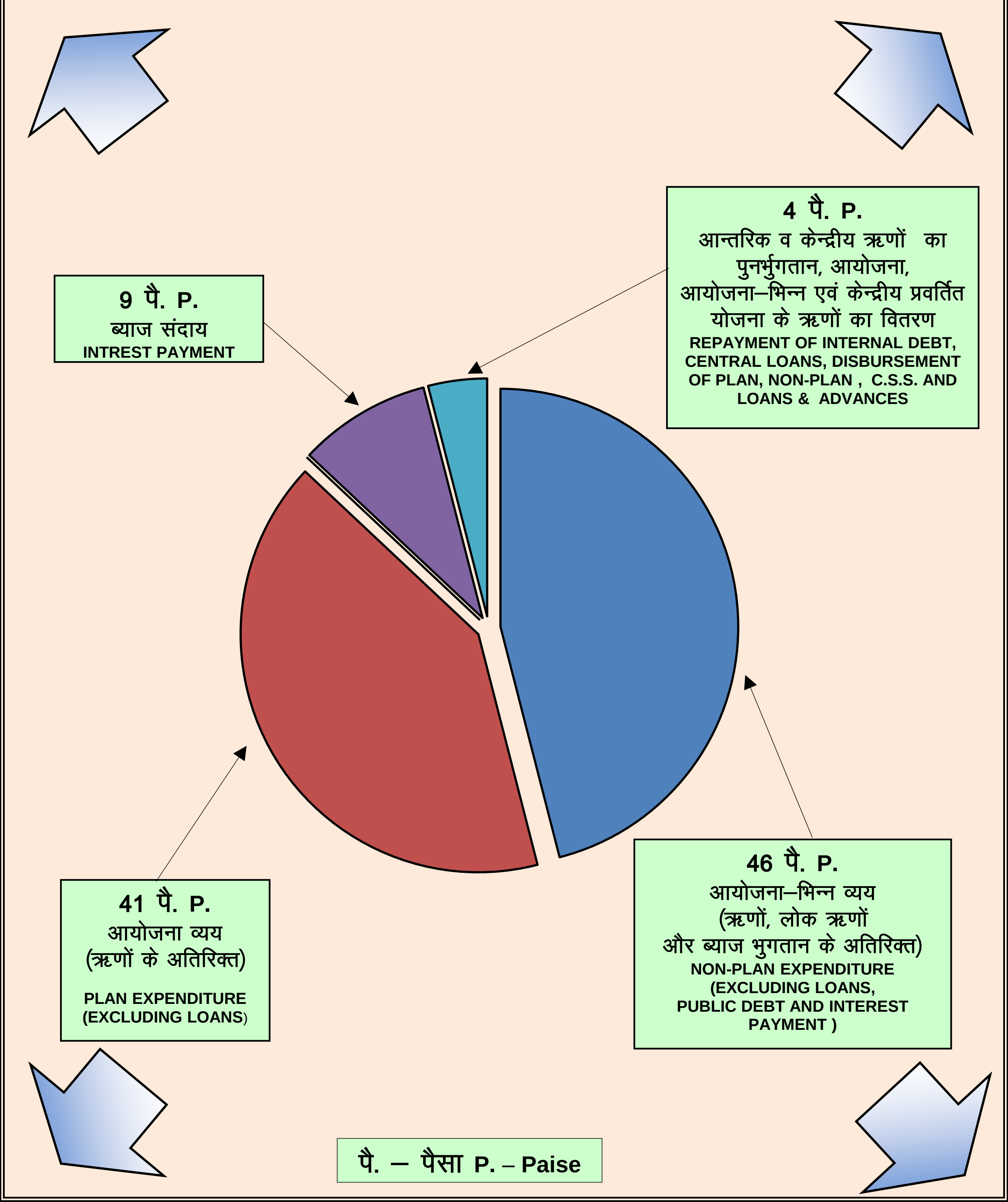

प्राप्तियां
RECEIPTS

(₹ लाख / Lakh)

	लेखा शीर्ष Head of Account	लेखे Accounts 2013-14	आय–व्ययक अनुमान (परि.) B.E. (Modi.) 2014-15	संशोधित अनुमान R.E. 2014-15	आय–व्ययक अनुमान B.E. 2015-16
	1	2	3	4	5
1	**राज्य के कर राजस्व** **State's Tax Revenue**	**3347769.91**	**4065495.81**	**3978687.56**	**4709604.61**
(i)	भू–राजस्व Land Revenue	33797.93	40075.56	32469.00	40000.01
(ii)	मुद्रांक एवं पंजीयन Stamps & Registration	312533.34	420000.00	350000.00	420000.00
(iii)	राज्य आबकारी State Excise	498159.04	531875.00	533000.00	630000.00
(iv)	बिक्री कर Sales Tax	2121551.10	2562500.00	2562500.00	3050000.04
(v)	वाहनों पर कर Tax on Vechicles	249889.99	295000.03	280000.00	330000.00
(vi)	बिजली शुल्क Electricity Duty	94892.58	169718.00	169718.00	178204.00
(vii)	अन्य कर एवं शुल्क Other Taxes & Duties	36945.93	46327.22	51000.56	61400.56
2	**केन्द्रीय करों में अंश** **Share in Central Taxes**	**1867307.07**	**2275554.00**	**1981714.00**	**2892483.00**
(i)	आयकर Income Tax	413520.00	540185.00	494176.00	706697.00
(ii)	निगम कर Corporation Tax	628002.00	758304.00	692030.00	957210.00
(iii)	संघ उत्पाद शुल्क Union Excise Duty	215183.00	226519.00	180976.00	288955.00
(iv)	सीमा शुल्क Custom Duty	304673.07	350802.00	320502.00	444298.00
(v)	सेवा कर Service Tax	304205.00	397986.00	292145.00	495352.00
(vi)	अन्य कर Other Taxes	1724.00	1758.00	1885.00	-29.00

क्रमशः / Contd…

प्राप्तियां
RECEIPTS

(₹ लाख / Lakh)

	लेखा शीर्ष Head of Account	लेखे Accounts 2013-14	आय–व्ययक अनुमान (परि.) B.E. (Modi.) 2014-15	संशोधित अनुमान R.E. 2014-15	आय–व्ययक अनुमान B.E. 2015-16
	1	2	3	4	5
3	**कर भिन्न राजस्व** **Non Tax Revenue**	**1357524.91**	**1493861.06**	**1346849.46**	**1549599.51**
(i)	ब्याज प्राप्तियां Interest Receipts	214249.02	204671.38	195982.55	179097.91
(ii)	लाभांश एवं लाभ Dividends & Profits	2459.88	4029.00	5907.25	5907.25
(iii)	अन्य कर भिन्न राजस्व Other Non-Tax Revenue	1140816.01	1285160.68	1144959.66	1364594.35
3.1	सहायतार्थ अनुदान Grants-in-aid	874435.57	2777556.13	2359581.77	1984479.19
3.2	कर भिन्न राजस्व एवं सहायतार्थ अनुदान Non Tax Revenue and Grants in Aid	2231960.48	4271417.19	3706431.23	3534078.70
3.3	**कुल राजस्व प्राप्तियां (1+2+3.2)** **Total Revenue Receipts**	**7447037.46**	**10612467.00**	**9666832.79**	**11136166.31**

क्रमशः / Contd…

प्राप्तियां
RECEIPTS

(₹ लाख / Lakh)

	लेखा शीर्ष Head of Account	लेखे Accounts 2013-14	आय–व्ययक अनुमान (परि.) B.E. (Modi.) 2014-15	संशोधित अनुमान R.E. 2014-15	आय–व्ययक अनुमान B.E. 2015-16
	1	2	3	4	5
4	**पूंजीगत प्राप्तियां** **Capital Receipts**	**1967980.94**	**2215132.94**	**2954604.98**	**2652602.78**
(i)	प्रत्यादत्त उधार एवं अग्रिम Recoveries of Loans & Advances	31553.00	15143.37	102066.06	90353.50
(ii)	आन्तरिक ऋण Internal Debt	1423270.91	1713850.84	1722527.62	1969800.52
(iii)	केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण Loans from Central Government	25873.46	189066.00	118611.16	245899.00
(iv)	आकस्मिकता निधि Contingency Fund	0.00	0.00	30000.00	0.00
(v)	शुद्ध सार्वजनिक लेखा Net Public Account	486256.48	296272.73	980600.14	345749.76
(vi)	अन्य पूंजीगत प्राप्तियां Other Capital Receipts	1027.09	800.00	800.00	800.00
5	**कुल प्राप्तियां (3.3+4)** **Total Receipts**	**9415018.40**	**12827599.94**	**12621437.77**	**13788769.09**

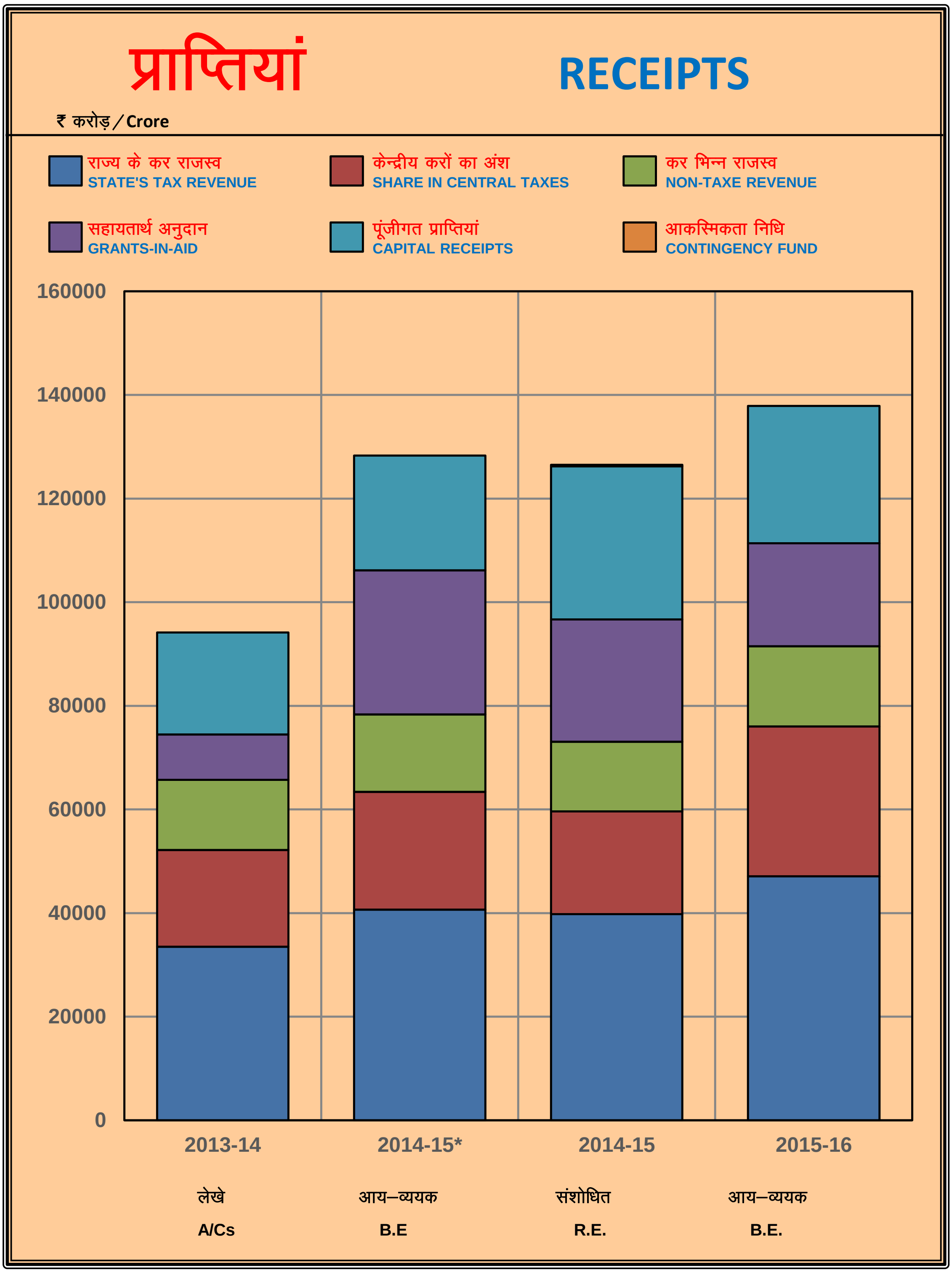

* परिवर्तित / Modified

व्यय
EXPENDITURE

(₹ लाख / Lakh)

	लेखा शीर्ष Head of Account	लेखे Accounts 2013-14	आय–व्ययक अनुमान (परि.) B.E. (Modi.) 2014-15	संशोधित अनुमान R.E. 2014-15	आय–व्ययक अनुमान B.E. 2015-16
	1	2	3	4	5
I	**राजस्व व्यय** **Revenue Expenditure**				
(क)	**आयोजना भिन्न व्यय** **Non-Plan Expenditure**	**5814525.84**	**6930175.44**	**6926826.56**	**7556072.74**
1	सामान्य सेवाएं General Services	2299808.68	2643773.94	2793053.53	3079947.80
2	सामाजिक सेवाएं Social Services	2227660.22	2608823.75	2586469.51	2824940.83
3	आर्थिक सेवाएं Economic Services	1287037.47	1669524.57	1547275.18	1651130.57
4	सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान Grants-in-aid & Contribution	19.47	8053.18	28.34	53.54
(ख)	**आयोजना व्यय** **PLAN EXPENDITURE**	**1515339.28**	**3608543.53**	**3161967.10**	**3524412.01**
1	सामान्य सेवाएं General Services	31888.94	45076.87	61178.56	49921.11
2	सामाजिक सेवाएं Social Services	759324.98	1752859.82	1477011.28	1837350.00
3	आर्थिक सेवाएं Economic Services	699275.64	1810606.17	1623776.59	1637140.90
4	सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान Grants-in-aid & Contribution	24849.72	0.67	0.67	0.00
(ग)	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजना** **Centrally Sponsored Scheme**	**221093.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	सामान्य सेवाएं General Services	2224.12	0.00	0.00	0.00
2	सामाजिक सेवाएं Social Services	161623.39	0.00	0.00	0.00
3	आर्थिक सेवाएं Economic Services	57246.01	0.00	0.00	0.00
(घ)	**कुल राजस्व व्यय (I) (क+ख+ग)** **Total Revenue Expenditure (I)**	**7550958.64**	**10538718.97**	**10088793.66**	**11080484.75**

;

व्यय
EXPENDITURE

(₹ लाख / Lakh)

	लेखा शीर्ष Head of Account	लेखे Accounts 2013-14	आय–व्ययक अनुमान (परि.) B.E. (Modi.) 2014-15	संशोधित अनुमान R.E. 2014-15	आय–व्ययक अनुमान B.E. 2015-16
	1	2	3	4	5
II	**पूंजीगत व्यय Capital Expenditure**				
(क)	**आयोजना भिन्न व्यय Non-Plan Expenditure**	**-1222.86**	**1278.57**	**2548.52**	**-74.94**
1	सामान्य सेवाएं General Services	-2423.92	192.54	1535.46	-924.97
2	सामाजिक सेवाएं Social Services	1116.06	1000.01	972.01	809.01
3	आर्थिक सेवाएं Economic Services	85.00	86.02	41.05	41.02
(ख)	**आयोजना व्यय Plan Expenditure**	**1330877.39**	**2055208.21**	**1912726.34**	**2076103.48**
1	सामान्य सेवाएं General Services	35265.55	76491.22	67270.05	63003.06
2	सामाजिक सेवाएं Social Services	437205.92	789117.68	654607.55	740017.58
3	आर्थिक सेवाएं Economic Services	858405.92	1189599.31	1190848.74	1273082.84
(ग)	**केन्द्रीय प्रवर्तित योजना Centrally Sponsored Scheme**	**36811.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1	सामान्य सेवाएं General Services	595.05	0.00	0.00	0.00
2	सामाजिक सेवाएं Social Services	16809.78	0.00	0.00	0.00
3	आर्थिक सेवाएं Economic Services	19406.72	0.00	0.00	0.00
(घ)	**कुल पूंजीगत व्यय (II) (क+ख+ग) Total Capital Expenditure (II)**	**1366466.08**	**2056486.78**	**1915274.86**	**2076028.54**

क्रमशः / Contd…

व्यय
EXPENDITURE

(₹ लाख / Lakh)

	लेखा शीर्ष Head of Account	लेखे Accounts 2013-14	आय–व्ययक अनुमान (परि.) B.E. (Modi.) 2014-15	संशोधित अनुमान R.E. 2014-15	आय–व्ययक अनुमान B.E. 2015-16
	1	2	3	4	5
	पूंजीगत व्यय Capital Expenditure				
III	**लोक ऋण (आयोजना भिन्न) Public Debt (Non-Plan)**	**411562.16**	**495689.02**	**495089.19**	**483043.68**
IV	**ऋण एवं अग्रिम Loan and Advances**	**81121.03**	**51794.68**	**82005.18**	**131781.89**
1	आयोजना भिन्न Non-Plan	14721.93	4020.27	5573.91	20.28
2	आयोजना Plan	64748.48	47774.41	76431.27	131761.61
3	केन्द्र प्रवर्तित योजना C. S. S.	1650.62	0.00	0.00	0.00
V	**आकस्मिकता निधि का विनियोग Appropiation to Contingency Fund**	**0.00**	**0.00**	**30000.00**	**0.00**
	वृहद् योग पूंजीगत व्यय Grand Total Capital Expenditure	**1859149.27**	**2603970.48**	**2522369.23**	**2690854.11**

व्यय EXPENDITURE

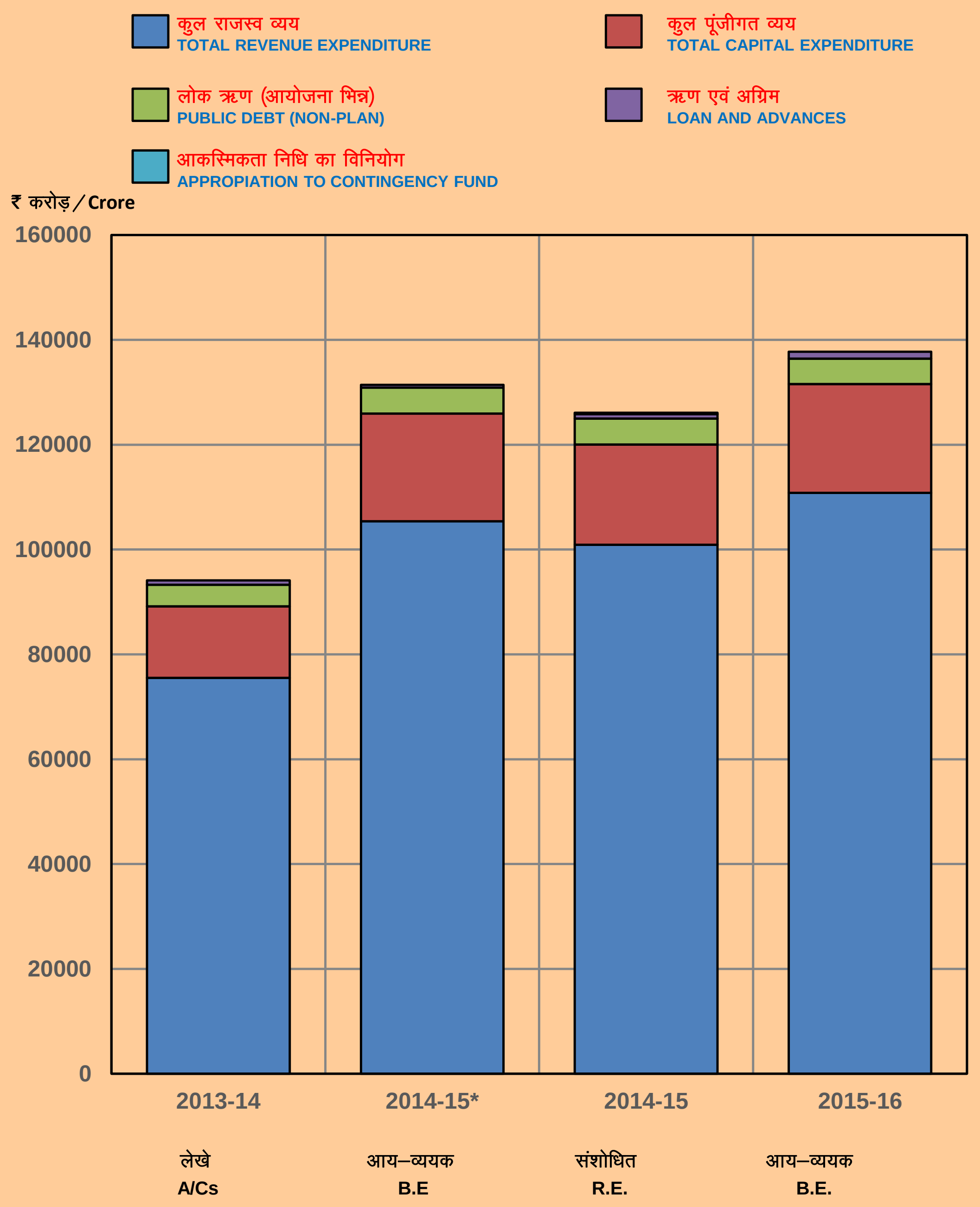

* परिवर्तित / Modified

मुख्य विशेषताएं

प्रस्तावित योजना उद्‌व्यय

2015–16

प्रस्तावित योजना उद्व्यय 2015–16 के मुख्य बिन्दु

राज्य विधानसभा में प्रस्तुत आय–व्ययक अनुमान 2015–16 में योजना उद्व्यय ₹ 71,405.78 करोड़ प्रस्तावित हैं। इसमें सकल बजटीय समर्थन के रूप में ₹ 57,322.77 करोड़ तथा आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के रूप में ₹ 13,147.59 करोड़ तथा सार्वजनिक–निजी सहभागिता परियोजनाओं पर सहभागी अभिकरणों के संसाधन के रूप में ₹ 935.42 करोड़ शामिल हैं। योजना उद्व्ययों का मुख्य शीर्षवार विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि ₹ करोड़ में)

विकास के शीर्ष/सेक्टर	प्रस्तावित परिव्यय	कुल से प्रतिशत
1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	3,975.84	**5.57**
2. ग्रामीण विकास	11,051.73	**15.48**
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	280.00	**0.39**
4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,719.08	**2.41**
5. विद्युत	16,665.10	**23.34**
6. उद्योग एवं खनिज	460.99	**0.65**
7. यातायात	5,778.17	**8.09**
8. वैज्ञानिक सेवाएं	123.63	**0.17**
9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	29,020.07	**40.64**
10. आर्थिक सेवाएं	1,545.94	**2.16**
11. सामान्य सेवाएं	785.23	**1.10**
योग	**71,405.78**	**100.00**

क्षेत्रवार मुख्य–मुख्य विशेषताएंः

1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएंः

- ₹ 318.60 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के शामिल
  - कृषि विपणन बोर्ड के ₹ 230.00 करोड़।
  - राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के ₹ 6.40 करोड़।
  - केम्पा–वृक्षारोपण के ₹ 70.00 करोड़।
  - रणथम्भोर बाघ संरक्षण फाऊण्डेशन के ₹ 10.00 करोड़।
  - राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्वेशन सोसायटी के ₹ 2.20 करोड़।
- कृषि विभाग के लिए ₹ 1751.32 करोड़ का प्रावधान
  - इसमें मौसम आधारित फसल बीमा योजना की राशि ₹ 270.25 करोड़ शामिल।
  - किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नॉलेज सेन्टर के लिये ₹ 109.00 करोड़।

- ♦ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु ₹ 600.00 करोड़ का प्रावधान।
- ♦ राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना (ई.ए.पी.) हेतु ₹ 85.00 करोड़ का प्रावधान।
- ♦ राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (कृषि विस्तार) के लिए ₹ 45.90 करोड़ का प्रावधान।
- ♦ राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (कृषि अभियांत्रिकी) के लिए ₹ 10.08 करोड़
- ♦ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूँ) के लिए ₹ 40.34 करोड़ का प्रावधान।
- ♦ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) के लिए ₹ 160.07 करोड़ का प्रावधान।
- ♦ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (मोटे अनाज) के लिए ₹ 56.13 करोड़ का प्रावधान।
- ♦ राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन (मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन) के लिए ₹ 16.04 करोड़ का प्रावधान।
- ♦ राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन (बारानी क्षेत्र विकास) के लिए ₹ 62.50 करोड़ का प्रावधान।
- ♦ राष्ट्रीय तिलहन और ऑयलपाम मिशन (तिलहन) के लिए ₹ 78.40 करोड़ का प्रावधान।
- ♦ राष्ट्रीय तिलहन और ऑयलपाम मिशन (वृक्ष जनित तिलहन) के लिए ₹ 3.25 करोड़ का प्रावधान।

➢ बागवानी विभाग के लिए ₹ 444.08 करोड़ का प्रावधान।

- ♦ राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु ₹ 66.38 करोड़ एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु ₹ 182.62 करोड़ का प्रावधान।
- ♦ सूक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई स्थापना हेतु अतिरिक्त सहायता ₹ 72.00 करोड़ का प्रावधान।
- ♦ राष्ट्रीय बम्बू मिशन हेतु ₹ 2.25 करोड़ का प्रावधान।
- ♦ सोलर पम्प सेट के लिए अतिरिक्त सहायता हेतु ₹ 100.15 करोड़ का प्रावधान।

➢ पाँच कृषि विश्वविद्यालयों हेतु ₹ 64.20 करोड़ का प्रावधान।

➢ पशुपालन के लिए ₹ 260.39 करोड़ का प्रावधान। इसमें ₹ 1.26 करोड़ महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के, ₹ 53.32 करोड़ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर सहित।

- ♦ मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना के लिए ₹ 75.15 करोड़।
- ♦ पशुरोग नियन्त्रण हेतु राज्यों को सहायता – ₹ 5.39 करोड़
- ♦ पशुनस्ल सुधार योजना – ₹ 4.87 करोड़
- ♦ पशु पॉली क्लिनिक – ₹ 3.53 करोड़
- ♦ पशुधन एवं पशुपालक बीमा – ₹ 2.20 करोड़

- ♦ खुरपका मुँहपका रोग नियन्त्रण कार्यक्रम – ₹ 6.37 करोड़
- ♦ पीपीआर रोग नियन्त्रण कार्यक्रम – ₹ 4.85 करोड़

➢ गोपालन विभाग के लिए 21.94 करोड़ का प्रावधान

- ♦ राजस्थान राज्य कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को सहायता ₹ 8.19 करोड़
- ♦ वध से बचाये गौवंश को सहायता ₹ 5.88 करोड़
- ♦ ₹ 3.49 करोड़ गो–पालन निदेशालय के लिए प्रावधान।

➢ राजस्थान आजीविका मिशनों के लिये ₹ 75.80 करोड़ का प्रावधान।

➢ वानिकी क्षेत्र के लिये ₹ 425.32 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, ₹ 210.00 करोड़ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना द्वितीय चरण (बाह्य सहायता प्राप्त) के लिये प्रस्तावित प्रावधान सम्मिलित है।

➢ सहकारिता के लिये ₹ 595.38 करोड़ का प्रावधान। इसमें सहकारी संस्थाओं को ब्याज हेतु अनुदान के लिए ₹ 180.00 करोड़ एवं सहकारी समितियों को अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान हेतु ₹ 370.00 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित है।

➢ महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्यः

- ♦ खाद्यान्न अन्तर्गत क्षेत्रफल – 133.96 लाख हैक्टेयर
- ♦ खाद्य फसलों का उत्पादन – 210.31 लाख टन
- ♦ तिलहन अन्तर्गत क्षेत्रफल – 54.62 लाख हैक्टेयर
- ♦ तिलहन का उत्पादन – 70.15 लाख टन
- ♦ गन्ना अन्तर्गत क्षेत्रफल – 0.05 लाख हैक्टेयर
- ♦ गन्ना उत्पादन – 3.25 लाख टन
- ♦ कपास अन्तर्गत क्षेत्रफल – 4.65 लाख हैक्टेयर
- ♦ कपास उत्पादन – 13.13 लाख गांठें
- ♦ उर्वरक का उपभोग – 14.21 लाख टन
- ♦ फल पौधारोपण – 10,000 हैक्टेयर
- ♦ कृत्रिम गर्भाधान – 35 लाख
- ♦ बंध्याकरण – 5 लाख
- ♦ मत्स्य बीज उत्पादन – 750 मिलियन (संख्या)
- ♦ मत्स्य उत्पादन – 40,000 मैट्रिक टन
- ♦ सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्प, मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋणों का वितरण – ₹ 18,000 करोड़
- ♦ भण्डारण क्षमता – 16,200 मैट्रिक टन

2. ग्रामीण विकासः

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की प्रमुख योजनाओं के लिए ₹ 10501.28 करोड़ का प्रावधान निम्नानुसार हैः–

- मिड–डे–मील के लिए ₹ 659.45 करोड़ का प्रावधान।
- इन्दिरा आवास योजना के लिए ₹ 814.83 करोड़ का प्रावधान।
- स्टेट बी.पी.एल. परिवार हेतु आवास के लिये ₹ 70.00 करोड़ का प्रावधान।
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लिए ₹ 4,350.00 करोड़ का प्रावधान।
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन के लिए ₹ 39.70 करोड़ का प्रावधान।
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए ₹ 402.66 करोड़ का प्रावधान।
- एकीकृत जल प्रबन्धन कार्यक्रम के लिए ₹ 629.87 करोड़ का प्रावधान।
- फोर वाटर कन्सेप्ट के लिये ₹ 50.00 करोड़ का प्रावधान।
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हेतु ₹ 400.00 करोड़ का प्रावधान।
- डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु ₹ 50.00 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान हेतु ₹ 2073.75 करोड़ का प्रावधान।
- बाह्य सहायतित "पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना" के लिए ₹ 39.05 करोड़ का प्रावधान।
- गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के लिए ₹ 100.00 करोड़ का प्रावधान।
- पंचायती राज संस्थाओं के निर्बन्ध कोष के लिये ₹ 388.77 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए ₹ 129.60 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना के लिए ₹ 31.19 करोड़ का प्रावधान।
- नियोजनबद्ध कौशल विकास परियोजना के लिए ₹ 114.21 करोड़ का प्रावधान।
- स्व–विवेक जिला विकास योजना के लिए ₹ 4.00 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्व प्रशासन के सशक्तिकरण हेतु ₹ 148.57 करोड़ का प्रावधान।
- सेटलमेंट आदि के लिए ₹ 5.63 करोड़ का प्रावधान।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्यः
    - इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत 106860 नये आवासों का निर्माण।
    - मिड–डे–मील– 50.00 लाख छात्र/छात्राएं।
    - 30 हजार लोगों को भूखण्डों का आवंटन।

- ♦ एकीकृत जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 4,30,000 हैक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया जायेगा।
- ♦ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 3,888 स्वयं सहायता समूह का गठन।

3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रमः

- ➢ सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु ₹ 170.00 करोड़ का प्रावधान।
- ➢ मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु ₹ 50.00 करोड़ एवं मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 60.00 करोड़ का प्रावधान।

4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रणः

- ➢ बाह्य सहायतित परियोजनाओं हेतु ₹ 111.35 करोड़ का प्रावधान।
    - ♦ लघु सिंचाई सुधार योजना के लिए ₹ 27.35 करोड़।
    - ♦ राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम के लिए ₹ 84.00 करोड़।
- ➢ त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु ₹ 253.95 करोड़ का प्रावधान।
    - ♦ नर्बदा परियोजना के लिए ₹ 151.00 करोड़ ।
    - ♦ गंग नहर के आधुनिकीकरण के लिए ₹ 59.95 करोड़।
    - ♦ मरू क्षेत्रों में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹ 23.00 करोड़।
    - ♦ लघु सिंचाई इनोवेटिव योजना (आर.आर.आर.) के लिए ₹ 20.00 करोड़।
- ➢ लघु सिंचाई कार्य – फोर वाटर कन्सेप्ट के लिये ₹ 346.22 करोड़ का प्रावधान।
- ➢ जल संरक्षण संरचना – फोर वाटर कन्सेप्ट के लिये ₹ 90.33 करोड़ का प्रावधान।
- ➢ 12,630 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना।
    - ♦ 5,400 हैक्टेयर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा।
    - ♦ 900 हैक्टेयर में नर्बदा परियोजना के द्वारा।
    - ♦ 430 हैक्टेयर में गंग नहर के द्वारा।
    - ♦ 4,000 हैक्टेयर में लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा।
    - ♦ 1,900 हैक्टेयर में मध्यम सिंचाई योजनाओं के द्वारा।
- ➢ सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 307.03 करोड़ का प्रावधान।
- ➢ 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य।
    - ♦ 9,000 हैक्टेयर चम्बल सिंचित क्षेत्र में।
    - ♦ 10,000 हैक्टेयर बीसलपुर क्षेत्र में।
    - ♦ 31,000 हैक्टेयर गंग नहर– सी.ए.डी. क्षेत्र में।

5. **विद्युतः**

- विद्युत क्षेत्र के लिए कुल ₹ 16665.10 करोड़ का प्रावधान
- ₹ 9334.07 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों में सम्मिलित।
  - ₹ 6027.86 करोड़ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के।
  - ₹ 852.40 करोड़ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के।
  - ₹ 1005.11 करोड़ जयपुर डिस्कॉम के।
  - ₹ 897.20 करोड़ जोधपुर डिस्कॉम के।
  - ₹ 551.50 करोड़ अजमेर डिस्कॉम के।
- फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ट्रांजिशन सहायता के रूप में ₹ 463.05 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य सरकार द्वारा ₹ 6815.98 करोड़ का इक्विटी अंशदान एवं बजटीय सहायता।

6. **उद्योग एवं खननः**

- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के ₹ 145.00 करोड़ के आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन शामिल।
- उद्योग विभाग हेतु ₹ 117.73 करोड़ का प्रावधान।
- खादी एवं ग्रामोद्योग हेतु ₹ 5.02 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान हैण्डलूम विकास निगम हेतु ₹ 0.80 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड के लिए ₹ 42.57 करोड़ का प्रावधान।
- निवेश संवर्धन ब्यूरो हेतु ₹ 11.98 करोड़ का प्रावधान।
- दिल्ली–मुम्बई औद्यौगिक कॉरिडोर हेतु ₹ 4.19 करोड़ का प्रावधान।
- खान एवं भू–विज्ञान विभाग हेतु ₹ 37.86 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण गैर–कृषि विकास अभिकरण हेतु ₹ 3.80 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड के लिए ₹ 80.10 करोड़ का प्रावधान।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्यः–
  - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभान्वित व्यक्ति – 1,058

7. **परिवहनः**

- परिवहन क्षेत्र के लिये कुल ₹ 5778.17 करोड़ का प्रावधान।
- ₹ 500.77 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के शामिल
  - ₹ 500.77 करोड़ राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के।
- ₹ 933.81 करोड़ सार्वजनिक–निजी सहभागिता परियोजनाओं के शामिल
  - ₹ 200.00 करोड़ जयपुर विकास प्राधिकरण –रिंग रोड़ परियोजना।

- ₹ 733.81 करोड़ सार्वजनिक निर्माण विभाग– सड़क परियोजना।

- आर.आई.डी.एफ. अन्तर्गत नाबार्ड सहायतित सड़क कार्यों के लिए ₹ 621.00 करोड़ का प्रावधान
  - 1,000 किमी. सड़कों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण, 50 कि.मी. मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण एवं 1,00 किमी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
- केन्द्रीय सड़क निधि के तहत ₹ 250.00 करोड़ का प्रावधान
  - 300 किमी. राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण।
- बाह्य सहायतित परियोजना राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना के लिए ₹ 253.00 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण सड़क निर्माण के तहत ₹ 900.00 करोड़ का प्रावधान
  - 100 किमी. सड़कों का निर्माण एवं ग्रामीण गौरव पथ के अन्तर्गत 1,000 किमी. सड़कों का निर्माण।
- राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण के लिए ₹ 172.00 करोड़ का प्रावधान
  - 200 किमी. सड़कों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण।
- विशेष प्राथमिकता क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 5.00 करोड़ एवं ₹ 9.50 करोड़ शहरी सड़कों के निर्माण के लिए प्रावधान।
- राज्य सड़क विकास निधि अन्तर्गत ₹ 600.00 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ₹ 960.00 करोड़ का प्रावधान।
  - 3000 किमी. सड़कों का निर्माण एवं 1000 हैबिटेशन को जोड़ना प्रस्तावित।
- अन्तर्राज्यीय सड़कों के लिए ₹ 20.00 करोड़ का प्रावधान।
- सार्वजनिक–निजी सहभागिता सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 20.00 करोड़ का प्रावधान।
- सीमा क्षेत्र सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 50.34 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 50 नई बसों की खरीद।

8. वैज्ञानिक सेवाएं:

- ₹ 48.00 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के – राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के शामिल।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिये ₹ 28.61 करोड़।
- पर्यावरण विभाग के लिये ₹ 47.03 करोड़ का प्रावधान
  - इसमें ₹ 35.70 करोड़ राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के लिए।
  - इसमें ₹ 6.10 करोड़ राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के लिए।
  - इसमें ₹ 2.00 करोड़ सी.ई.टी.पी. के सम्मिलित।

9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएंः

शिक्षा

- शिक्षा क्षेत्र के लिये कुल ₹ 8912.12 करोड़ का प्रावधान।
- प्राथमिक शिक्षा के लिये ₹ 5610.52 करोड़ का प्रावधान
    - इसमें ₹ 4987.34 करोड़ सर्व शिक्षा अभियान के लिए प्रावधान।
- माध्यमिक शिक्षा के लिये ₹ 2791.30 करोड़ का प्रावधान
    - इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए ₹ 1086.48 करोड़ सम्मिलित।
- विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के लिये ₹ 175.93 करोड़ का प्रावधान
- साक्षरता एवं सतत् शिक्षा के लिये ₹ 77.17 करोड़ का प्रावधान।
- कला एवं संस्कृति के लिये ₹ 53.50 करोड़ का प्रावधान।
- तकनीकी शिक्षा के लिये ₹ 57.51 करोड़ का प्रावधान।
- खेल एवं युवा कल्याण के लिये ₹ 106.86 करोड़ का प्रावधान।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेक्टर (आयुर्वेद सहित) के लिये ₹ 6063.04 करोड़ का प्रावधान।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹ 1632.87 करोड़ का प्रावधान, जिसमें ₹ 367.42 करोड़ निःशुल्क दवा वितरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा, ₹ 117.18 करोड़ निःशुल्क जाँच योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा सम्मिलित
    - 47 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण का लक्ष्य।
    - 31 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण का लक्ष्य।
    - 315 स्वास्थ्य उप केन्द्रों का भवन निर्माण का लक्ष्य।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के लिए ₹ 1,810.00 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना के लिये ₹ 70.00 करोड़ का प्रावधान।
- धनवन्तरी एम्बुलेन्स सेवा योजना के लिए ₹ 85.00 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिये ₹ 290.13 करोड़ का प्रावधान।
- परिवार कल्याण विभाग के लिए ₹ 744.46 करोड़ का प्रावधान, इसमें ₹ 170.96 करोड़ शुभ लक्ष्मी योजना का प्रावधान शामिल।
- चिकित्सा शिक्षा के लिए ₹ 470.73 करोड़ का प्रावधान, जिसमें नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये ₹ 396.90 करोड़ एवं झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसाइटी को अनुदान के ₹ 68.95 करोड़ सम्मिलित हैं।
- आयुर्वेद हेतु ₹ 73.96 करोड़ का प्रावधान।

जन–स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

- जल प्रदाय योजनाओं हेतु ₹ 4674.25 करोड़ का प्रावधान

- ♦ शहरी एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए ₹ 4671.83 करोड़।
- ♦ अधीनस्थ अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान के लिए ₹ 1.42 करोड़।
- ♦ शुष्क शौचालयों के निर्माण के लिये ₹ 1.00 करोड़।

➢ उक्त प्रावधान में बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए ₹ 817.30 करोड़ का प्रावधान भी शामिल

- ♦ शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर की पुनर्संरचना के लिए ₹ 150.00 करोड़।
- ♦ राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय परियोजना एवं फ्लोरोसिस मिटीगेशन परियोजना नागौर के लिए ₹ 667.30 करोड़।

➢ 3,100 स्लिप्ड बैक एन.सी./पी.सी. बस्तियों को समाविष्ट करने का लक्ष्य।

आवास एवं नगरीय विकास

➢ आवास एवं नगरीय विकास के लिये ₹ 5223.55 करोड का प्रावधान।

➢ इसमें ₹ 2,801.15 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के शामिल

- ♦ राजस्थान आवासन मण्डल के ₹ 400.00 करोड़।
- ♦ जयपुर विकास प्राधिकरण के ₹ 520.00 करोड़।
- ♦ अन्य शहरी स्थानीय निकायों के ₹ 1,881.15 करोड़।

➢ बाह्य सहायतित राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम हेतु ₹ 405.00 करोड़ का प्रावधान।

➢ पुलिस आवास के लिए हुडको को किश्त का भुगतान करने के लिए ₹ 106.59 करोड़ का प्रावधान।

➢ कच्ची बस्ती मुक्त भारत – राजीव आवास योजना के लिए ₹ 260.00 करोड़ का प्रावधान।

➢ जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज–I 'अ' के लिए ₹ 229.00 करोड़ का प्रावधान।

➢ जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज–I 'ब' के लिए ₹ 250.00 करोड़ का प्रावधान।

➢ राज्य वित्त आयोग के तहत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में ₹ 687.57 करोड़ का प्रावधान।

➢ रेलवे ओवर ब्रिज के लिए ₹ 125.00 करोड़ का प्रावधान।

➢ शहरी जनसहभागिता योजना के लिए ₹ 25.00 करोड़ का प्रावधान।

➢ सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण के लिए ₹ 20.00 करोड़ का प्रावधान।

➢ जल एवं सीवरेज परियोजना के लिए ₹ 25.00 करोड़ का प्रावधान।

➢ राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास फण्ड के लिए ₹ 145.60 करोड़ का प्रावधान।

➢ स्थानीय निकाय को सामान्य सहायता कोष के लिए ₹ 50.00 करोड़ का प्रावधान।

➢ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए ₹ 61.87 करोड़ का प्रावधान।

➢ स्वच्छ भारत मिशन के लिये ₹ 50.00 करोड़ का प्रावधान।

- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शहरी क्षेत्रों में 7,000 आवासों का निर्माण।

श्रम एवं श्रम कल्याण

- आई.टी.आई. के लिए ₹ 136.07 करोड़ का प्रावधान
- रोजगार विभाग के लिए ₹ 41.31 करोड़ का प्रावधान, जिसमें से ₹ 35.00 करोड़ बेरोजगारी भत्ते के लिए।
- श्रम विभाग के लिए ₹ 78.20 करोड़ का प्रावधान, जिसमें से ₹ 77.88 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए।

पिछड़ी जातियों का कल्याण तथा समाज कल्याण

- अनु.जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण तथा समाज कल्याण के लिये ₹ 1238.69 करोड़ का प्रावधान।
- इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उत्तर–मैट्रिक छात्रवृति हेतु ₹ 481.02 करोड़ का प्रावधान शामिल
  - 787684 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- विभिन्न छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए ₹ 20.56 करोड़ का प्रावधान।
- 200 सम्बल गाँवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ₹ 40.60 करोड़ का प्रावधान।
- अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु ₹ 11.00 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान अनुसूचित जाति–जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को मैचिंग सहायता के लिए ₹ 5.00 करोड़ का प्रावधान।
- अनुप्रति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए ₹ 2.25 करोड़ का प्रावधान।
- सहयोग योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार की पुत्रियों के विवाह पर ₹ 10,000/– वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ₹ 16.00 करोड़ का प्रावधान।
- देवनारायण योजना के लिए ₹ 116.55 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के लिए ₹ 273.08 करोड़ का प्रावधान
  - 9.16 लाख व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत जनश्री बीमा योजना के लिए ₹ 17.53 करोड़ का प्रावधान
  - 27.40 लाख बी.पी.एल. परिवारों को जीवन बीमा सुरक्षा।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अन्तर्गत ₹ 51.08 करोड़ का प्रावधान।
  - 1.42 लाख व्यक्तियों को विधवा पेंशन प्रदान करना।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना अन्तर्गत ₹ 10.15 करोड़ का प्रावधान।

- ♦ 28,196 व्यक्तियों को विशेष योग्यजन पेंशन प्रदान करना।

- ➢ महिलाओं के कल्याण हेतु ₹ 0.23 करोड़ का प्रावधान।
- ➢ वृद्धावस्था गृहों की स्थापना हेतु ₹ 1.80 करोड़ का प्रावधान।

विशेष योग्यजन निदेशालय

- ➢ विशेष योग्यजन निदेशालय के लिए ₹ 34.64 करोड़ का प्रावधान
    - ♦ 6,700 व्यक्तियों को प्रोस्थेटिक सहायता।
    - ♦ 3,460 व्यक्तियों को विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति।
    - ♦ 1,630 विशेष योग्यजन मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना अन्तर्गत लाभान्वित।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास

- ➢ विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 108.35 करोड़ का प्रावधान।
- ➢ संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत ₹ 122.23 करोड़ का प्रावधान।
- ➢ जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिये ''जनजाति कल्याण निधि'' अन्तर्गत निर्बन्ध अनुदान के रूप में ₹ 290.92 करोड़ का प्रावधान।
- ➢ सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनान्तर्गत ₹ 14.10 करोड़ का प्रावधान।
- ➢ जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिये ₹ 0.70 करोड़ का प्रावधान।
- ➢ वन बंधु कल्याण योजना के लिये ₹ 10.00 करोड़ का प्रावधान।
- ➢ आश्रम छात्रावासों (छात्रा) का निर्माण एवं नवीनीकरण के लिये ₹ 10.23 करोड़ का प्रावधान।

महिला एवं बाल विकास

- ➢ महिला विकास कार्यक्रमों हेतु ₹ 79.35 करोड़ का प्रावधान
    - ♦ साथिनों को मानदेय का भुगतान।
    - ♦ प्रबन्धकीय क्षमता विकास एवं आय सृजन गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु।
    - ♦ सामूहिक विवाहों के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु।
    - ♦ महिला स्वयं सहायता समूहों को समय पर ऋण चुकाने पर प्रोत्साहन स्वरूप ब्याज दर में छूट हेतु सहायता।
- ➢ पोषाहार हेतु ₹ 1598.97 करोड़ का प्रावधान
    - ♦ 53.21 लाख बच्चों व महिलाओं को पूरक पोषाहार द्वारा लाभान्वित करने हेतु।
    - ♦ आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय भुगतान हेतु ।
    - ♦ समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत प्रशासन एवं प्रशिक्षण के लिए।

♦ आँगनबाड़ी केन्द्र के भवनों के निर्माण हेतु।

अल्पसंख्यक विकास

- अल्पसंख्यक विकास के लिए ₹ 92.01 करोड़ का प्रावधान।
- ₹ 2.45 करोड़ मदरसा मण्डल के लिए प्रावधान।
- ₹ 63.32 करोड़ मदरसा स्कूल के लिए प्रावधान।
- ₹ 1.50 करोड़, अल्पसंख्यक छात्राओं के छात्रावास भवन हेतु।
- ₹ 2.00 करोड़ अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिए रोजगार योजना।
- ₹ 0.10 करोड़ अल्पसंख्यक व्यक्तियों हेतु व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना।
- ₹ 3.00 करोड़ का ऋण राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को दिए जाने का प्रावधान।
- ₹ 4.00 करोड़ अल्पसंख्यकों हेतु छात्रावास भवन।
- ₹ 10.23 करोड़ का अल्पसंख्यक क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिये प्रावधान।

बाल अधिकारिता निदेशालय

- बाल अधिकारिता निदेशालय के लिए ₹ 239.45 करोड़ का प्रावधान।
- पालनहार योजनान्तर्गत निराश्रित बच्चों एवं विधवा पेंशनधारियों के 2 बच्चों को नजदीकी रिश्तेदारों के द्वारा संरक्षण/देखरेख प्रदान करवाने हेतु ₹ 171.13 करोड़ का प्रावधान।
- समग्र बाल संरक्षण योजनान्तर्गत ₹ 60.00 करोड़ का प्रावधान।
- बाल गृह/सम्प्रेक्षण गृह भवन निर्माण के लिए ₹ 5.11 करोड़ का प्रावधान।

10. आर्थिक सेवाएं:

- पर्यटन विभाग के लिये ₹ 136.47 करोड़ का प्रावधान।
- ''राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना'' हेतु ₹ 176.00 करोड़ का प्रावधान।
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के लिए ₹ 621.29 करोड़ का प्रावधान।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हेतु ₹ 377.42 करोड़ का प्रावधान, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हेतु ₹ 250.76 करोड की राशि भी शामिल।
- कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु ₹ 4.11 करोड़ का प्रावधान।
- आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए ₹ 210.82 करोड़ का प्रावधान, जिसमें ₹ 183.54 करोड़ भामाशाह योजना के सम्मिलित।

11. सामान्य सेवाएं:

- जेल भवनों के लिए ₹ 62.57 करोड़।
- पुलिस भवनों के लिए ₹ 92.17 करोड़।

- जोधपुर में उच्च न्यायालय के नये भवन एवं अन्य न्यायिक भवनों के लिए ₹ 182.62 करोड़।
- सामान्य प्रशासन विभाग के भवनों के लिए ₹ 17.83 करोड़।
- आबकारी विभाग के लिए ₹ 14.00 करोड़।
- कोष एवं लेखा के लिए ₹ 25.58 करोड़।
- मुद्रांक एवं पंजीयन के लिए ₹ 11.15 करोड़।
- राजस्थान विनियोजन संवर्द्धन नीति–2003 के तहत अनुदान हेतु ₹ 316.20 करोड़ का प्रावधान।
- नागरिक उड्डयन के लिए ₹ 30.00 करोड़ का प्रावधान।
- देवस्थान विभाग के लिए ₹ 46.68 करोड़ का प्रावधान जिसमें से ₹ 15.00 करोड़ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए।

****

HIGHLIGHTS

PROPOSED PLAN OUTLAY

2015-16

Highlights of Proposed Plan Outlay 2015-16

₹ 71405.78 crore are proposed as Plan Outlay in the Budget Estimate 2015-16 presented in the Rajasthan State Legislative Assembly. This includes Gross Budgetary Support of ₹ 57322.77 crore, Internal & Extra Budgetary Resources (IEBR) of ₹ 13147.59 crore and Resources of Participating Agencies for Public Private Partnership Projects of ₹ 935.42 crore. The major head-wise break-up of the plan outlays are as under:-

(₹ in crore)

S. No.	Head of Development /Sectors	Proposed Outlay	% to Total
1.	Agriculture & Allied Services	3,975.84	5.57
2.	Rural Development	11,051.73	15.48
3.	Special Area Programme	280.00	0.39
4.	Irrigation & Flood Control	1,719.08	2.41
5.	Power	16,665.10	23.34
6.	Industry & Minerals	460.99	0.65
7.	Transport	5,778.17	8.09
8.	Scientific Services	123.63	0.17
9.	Social & Community Services	29,020.07	40.64
10.	Economic Services	1,545.94	2.16
11.	General Services	785.23	1.10
Total		**71,405.78**	**100.00**

Sector-wise Highlights:-

I. Agriculture & Allied Services

- Includes IEBR of ₹ 318.60 crore
  - ₹ 230.00 crore of Agriculture Marketing Board
  - ₹ 6.40 crore of State Warehousing Corporation
  - ₹ 70.00 crore of CAMPA for Plantation
  - ₹ 10.00 crore of Ranthambore Tiger Conservation Foundation
  - ₹ 2.20 crore of Rajasthan Protected Area Conservation Society
- Provision of ₹ 1,751.32 crore for Agriculture Department
  - Provision of ₹ 270.25 crore for Weather based Crop Insurance Scheme
  - Provision of ₹ 109.00 crore for Construction of Kisan Seva Cum Village Knowledge Centers
  - Provision of ₹ 600.00 crore for Rastriya Krishi Vikas Yojana (RKVY).
  - Provision of ₹ 85.00 crore for Rajasthan Agriculture Competitive Project (EAP)
  - Provision of ₹ 45.90 crore for National Mission on Agriculture Extension and Technology (Agriculture Extension)

- Provision of ₹ 10.08 crore for National Mission on Agriculture Extension and Technology (Agriculture Engineering)
- Provision of ₹ 40.34 crore for National Food Security Mission (Wheat)
- Provision of ₹ 160.07 crore for National Food Security Mission (Pulses)
- Provision of ₹ 56.13 crore for National Food Security Mission (Coarse Cereal)
- Provision of ₹ 16.04 crore for National Mission on Sustainable Agriculture (Soil Health Management)
- Provision of ₹ 62.50 crore for National Mission on Sustainable Agriculture (Rain fed Area Development)
- Provision of ₹ 78.40 crore for National Oil Seed and Oil Palm Mission (Oil Seed)
- Provision of ₹ 3.25 crore for National Oil Seed and Oil Palm Mission (Tree Borne Oil Seed)

▪ Provision of ₹ 444.08 crore for Horticulture Department.
  - Provision of ₹ 66.38 crore for National Horticulture Mission and ₹ 182.62 crore for Micro Irrigation Scheme
  - ₹ 72.00 crore for additional subsidy for drip irrigation installation under Micro Irrigation Scheme
  - Provision of ₹ 2.25 crore for National Mission on Bamboo
  - Provision of ₹ 100.15 crore for additional subsidy for Solar Pump Set

▪ Provision of ₹ 64.20 crore for Five Agriculture Universities.

▪ Provision of ₹ 260.39 crore for Animal Husbandry which includes a provision of ₹ 1.26 crore for Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur and provision of ₹ 53.32 crore for Veterinary & Animal Science University, Bikaner
  - ₹ 75.15 crore for Mukhymantri Pasudhan Nishulk Dava Yojana.
  - ₹ 5.39 crore for Assistance to States for Control of Animal Diseases (ASCAD)
  - ₹ 4.87 crore for Livestock Breed Improvement Scheme
  - ₹ 3.53 crore for Veterinary Polyclinics
  - ₹ 2.20 crore for Livestock and Livestock Breeding Insurance
  - ₹ 6.37 crore for Foot & Mouth Disease Control Programme
  - ₹ 4.85 for PPR Disease Control Programme

▪ Provision of ₹ 21.94 crore for Gopalan Department
  - Assistance of ₹ 8.19 crore to Rajasthan State Cooperative Dairy Federation
  - Provision of ₹ 5.88 crore for Relief to Cattle Saved from Slaughter
  - Provision of ₹ 3.49 crore for Gopalan Directorate

▪ Provision of ₹ 75.80 crore for Rajasthan Aajivika Mission

▪ Provision of ₹ 425.32 crore for Forestry which includes a provision of ₹ 210.00 crore for Rajasthan Forest and Bio-diversity Project Phase-II (EAP)

▪ Provision of ₹ 595.38 crore for cooperation which includes ₹ 180.00 crore for Interest Subsidy for Credit Cooperative Institution and ₹ 370.00 crore for Interest Subsidy to Good Loaners of Cooperative Societies

- Important physical targets:
  - Area under Food Crops – 133.96 lakh ha.
  - Production of Food Crops – 210.31 lakh tonnes
  - Area under Oilseeds – 54.62 lakh ha.
  - Production of Oilseeds – 70.15 lakh tonnes
  - Area under Sugarcane – 0.05 lakh ha.
  - Production of Sugarcane – 3.25 lakh tonnes
  - Area under Cotton – 4.65 lakh ha.
  - Production of Cotton – 13.13 lakh bales
  - Consumption of Fertilizer – 14.21 lakh tonnes
  - Fruit Plantation – 10,000 ha.
  - Artificial Insemination – 35 lakhs
  - Castration – 5 lakhs
  - Fish Seed Production – 750 Million (No.)
  - Fish Production – 40,000 MT
  - Distribution of short, medium and long term loan through Cooperative Institutions – ₹ 1,8000.00 crore
  - Storage Capacity – 16,200 MT

II. Rural Development

Provisionof ₹ 10501.28 crore for following major schemes of Rural Development and Panchayati Raj:

- Provision of ₹ 659.45 crore for Mid-day-meal
- Provision of ₹ 814.83 crore for Indira Awas Yojana (IAY)
- Provision of ₹ 70.00 crore for Housing for State BPL Families
- Provision of ₹ 4,350.00 crore for Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)
- Provision of ₹ 39.70 crore for DRDA Administration
- Provision of ₹ 402.66 crore for Total Sanitation Campaign
- Provision of ₹ 629.87 crore for Integrated Watershed Management Programme
- Provision of ₹ 50.00 crore for Four Water Concept
- Provision of ₹ 400.00 crore for MLA Local Area Development Scheme
- Provision of ₹ 50.00 crore for Dang Area Development Programme
- Provision of ₹ 2,073.75 crore as Grants to PRIs under SFC
- Provision of ₹ 39.05 crore for Externally Aided Project 'Mitigating Poverty in Western Rajasthan'
- Provision of ₹ 100.00 crore for Guru Golvalkar Jan Bhagidari Vikas Yojana
- Provision of ₹ 388.77 crore as Untied Funds to Panchayati Raj Institutions

- Provision of ₹ 129.60 crore for National Rural Livelihood Mission
- Provision of ₹ 31.19 crore for National Rural Livelihood Project
- Provision of ₹ 114.21 crore for Placement Linked Skill Development Project
- Provision of ₹ 4.00 crore for Swavivek District Development Scheme
- Provision of ₹ 148.57 crore for Strengthening of Revenue Administration
- Provision of ₹ 5.63 crore for Settlement etc.

Important physical targets:

- Construction of 1,06,860 new houses under IAY
- Mid-day-meal – 50 lakh students
- Plots to be allotted to 30,000 persons
- 4,30,000 ha. area to be treated under Integrated Watershed Management Project
- 3,888 Formation of Self Help Group under National Rural Livelihood Mission

III. Special Area Programme

- Provision of ₹ 170.00 crore for Border Area Development Programme
- Provision of ₹ 50.00 crore for Magra Area Development and ₹ 60.00 crore for Mewat Area Development Programme

IV. Irrigation & Flood Control

- Provision of ₹ 111.35 crore for Externally Aided Projects
  - ₹ 27.35 crore for Minor Irrigation Improvement Scheme
  - ₹ 84.00 crore for State Partnership Irrigation Project
- Provision of ₹ 253.95 crore for AIBP Projects
  - ₹ 151.00 crore for Narmada Project
  - ₹ 59.95 crore for Gang Canal modernization
  - ₹ 23.00 crore for minor irrigation projects in Desert Areas
  - ₹ 20.00 crore for minor irrigation Innovative Scheme (RRR)
- Provision of ₹ 346.22 crore for Minor Irrigation Works - Four Water Concept
- Provision of ₹ 90.33 crore for Water Harvesting Structures - Four Water Concept
- Additional irrigation potential to be created – 12,630 hectares
  - 5,400 ha. through IGNP
  - 900 ha. through Narmada Project
  - 430 ha. through Gang Canal
  - 4,000 ha. through Minor Irrigation Schemes
  - 1,900 ha. through Medium Irrigation Projects
- Provision of ₹ 307.03 crore for Command Area Development

- OFD works – 50,000 ha.
  - 9,000 ha. in Chambal Command Area
  - 10,000 ha. in Bisalpur Area
  - 31,000 ha. in Gang Canal - CAD

V. Power

- Provision of ₹ 16665.10 crore for Power Sector
- Includes IEBR of ₹ 9,334.07 crore.
  - ₹ 6,027.86 crore of Raj. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited
  - ₹ 852.40 crore of Raj. Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited
  - ₹ 1,005.11 crore of DISCOM, Jaipur
  - ₹ 897.20 crore of DISCOM, Jodhpur
  - ₹ 551.50 crore of DISCOM, Ajmer
- Provision of ₹ 463.05 crore as Transition Support for Feeder Renovation Programme (FRP)
- ₹ 6,815.98 crore as Equity Contribution and Budgetary Support by the State Government

VI. Industry and Minerals

- Includes IEBR of ₹ 145.00 crore of RSMM Ltd.
- Provision of ₹ 117.73 crore for Industries Department
- Provision of ₹ 5.02 crore for Khadi & Village Industries
- Provision of ₹ 0.80 crore for Rajasthan Handloom Development Corporation
- Provision of ₹ 42.57 crore for Rajasthan State Ganganagar Sugar Mill Ltd.
- Provision of ₹ 11.98 crore for Bureau of Investment Promotion
- Provision of ₹ 4.19 crore for Delhi-Mumbai Industrial Corridor
- Provision of ₹ 37.86 crore for Mines & Geology Deptt.
- Provision of ₹ 3.80 crore for RUDA
- Provision of ₹ 80.10 crore for Rajasthan Refinery Ltd.

Important physical targets:

- Persons to be benefitted under Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) – 1,058

VII. Transport

- Provision of ₹ 5778.17 crore for Transport Sector
- Includes IEBR of ₹ 500.77 crore
  - ₹ 500.77 crore of Rajasthan State Road Development Construction Corp.

- Includes PPP of ₹ 933.81 crore
  - ₹ 200.00 crore of Jaipur Development Authority - Ring Road Project
  - ₹ 733.81 crore of Public Works Department - Road Project
- Provision of ₹ 621.00 crore for NABARD assisted road works under RIDF
  - Strengthening, modernization and renovation of 1,000 km. roads, Construction of 50 km. Missing Link Roads and Construction of 100 km. Rural Roads
- Provision of ₹ 250.00 crore under Central Road Fund (CRF)
  - Strengthening, modernization and renovation of 300 km. State Highway & Major District Roads.
- Provision of ₹ 253.00 crore for Rajasthan Road Sector Modernization Project (EAP).
- Provision of ₹ 900.00 crore for Rural Roads.
  - Construction of 100 km. roads and construction of 1000 km. roads under Gramin Gaurav Path.
- Provision of ₹ 172.00 crore for Strengthening, Modernization and Renovation of State Highways & Major District Roads
  - Strengthening, Modernization and Renovation of 200 Km. Roads
- Provision of ₹ 5.00 crore for construction of Roads of special priority and ₹ 9.50 crore for Urban Roads.
- Provision of ₹ 600.00 crore under State Road Development Fund
- Provision of ₹ 960.00 crore for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
  - Construction of 3000 kms. Roads and 1000 Habitations are proposed to be connected.
- Provision of ₹ 20.00 crore for Inter State Roads
- Provision of ₹ 20.00 crore for Public Private Partnership Roads
- Provision of ₹ 50.34 crore for construction for Border Area Roads
- Purchase of 50 new buses by RSRTC

VIII. Scientific Services

- Includes IEBR of ₹ 48.00 crore of Rajasthan State Pollution Control Board
- Provision of ₹ 28.61 crore for Science & Technology
- Provision of ₹ 47.03 crore for Environment Department
  - Includes ₹ 35.70 crore for National Lake Conservation Programme
  - Includes ₹ 6.10 crore for National River Conservation Scheme
  - Includes ₹ 2.00 crore for Common Effluent Treatment Plant

IX. Social & Community Services:

Education

- Total provision of ₹ 8912.12 crore for Education Sector

- Provision of ₹ 5,610.52 crore for Elementary Education
  - Includes ₹ 4,987.34 crore for Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)
- Provision of ₹ 2,791.30 crore for Secondary Education
  - Including ₹ 1,086.48 crore for Rashtriya Madhayamic Shiksha Abhiyan
- Provision of ₹ 175.93 crore for University and other Higher Education
- Provision of ₹ 77.17 crore for Literacy & Continuing Education
- Provision of ₹ 53.50 crore for Arts & Culture
- Provision of ₹ 57.51 crore for Technical Education
- Provision of ₹ 106.86 crore for Sports & Youth Welfare

Medical & Health

- Provision of ₹ 6063.04 crore for Medical & Health Sector including Ayurved
- Provision of ₹ 1,632.87 crore for Medical & Health Department including ₹ 367.42 crore for Nisulk Drug Distribution Scheme through DMHS and ₹ 117.18 crore for Nisulk Janch Yojana through DMHS.
  - Construction of 47 PHCs building
  - Construction of 31 CHCs building
  - Construction of 315 Sub-centres building
- Provision of ₹ 1,810.00 crore for National Rural Health Mission (NRHM)
- Provision of ₹ 70.00 crore for Mukhya Mantri Jeevan Raksha Kosh Yojana
- Provision of ₹ 85.00 crore for Dhanvantari Ambulance Service Yojana
- Provision of ₹ 290.13 crore for National Urban Health Mission
- Provision of ₹ 744.46 crore for Family Welfare Department
  - Includes ₹ 170.96 crore for Subh Laxmi Yojana
- Provision of ₹ 470.73 crore for Medical Education includes ₹ 396.90 crore for New Medical College and ₹ 68.95 crore for Grant to Jhalawar Hospital & Medical College Society
- Provision of ₹ 73.96 crore for Ayurved

PHED

- Provision of ₹ 4,674.25 crore for Water Supply Schemes
  - ₹ 4,671.83 crore for Urban and Rural Water Supply Schemes
  - ₹ 1.42 crore for Training Institute for Engineering Subordinates
  - ₹ 1.00 crore for Low Cost Sanitation
- Includes ₹ 817.30 crore for Externally Aided Projects
  - ₹ 150.00 crore for reorganization of Urban Water Supply, Jodhpur
  - ₹ 667.30 crore for Rajasthan Rural Water Supply Project and Fluorosis Mitigation Project, Nagaur
- Target to cover 3100 slipped back NC/PC habitations

Housing & Urban Development

- Provision of ₹ 5223.55 crore for Housing & Urban Development
- Provision includes IEBR of ₹ 2801.15 crore
  - ₹ 400.00 crore of Rajasthan Housing Board
  - ₹ 520.00 crore of Jaipur Development Authority
  - ₹ 1881.15 crore of Other Urban Local Bodies
- Provision of ₹ 405.00 crore for Externally Aided Rajasthan Urban Sector Development Investment Programme
- Provision of ₹ 106.59 crore for payment of installment to HUDCO for Police Housing
- Provision of ₹ 260.00 crore for Slum Free India - Rajeev Awas Yojana
- Provision of ₹ 229.00 crore for Jaipur Metro Rail project Phase-I-A
- Provision of ₹ 250.00 crore for Jaipur Metro Rail project Phase-I-B
- Provision of ₹ 687.57 crore as grants to ULBs under SFC
- Provision of ₹ 125.00 crore for Railways Over Bridges (ROBs)
- Provision of ₹ 25.00 crore Sahari Jan Sabhagita Yojana
- Provision of ₹ 20.00 crore for construction of Sewerage Treatment Plant
- Provision of ₹ 25.00 crore for Water and Sewerage Project
- Provision of ₹ 145.60 crore for Rajasthan Transport Infrastructure Development Fund
- Provision of ₹ 50.00 crore for General Grants to Local Bodies
- Provision of ₹ 61.87 crore for National Urban Livelihood Mission
- Provision of ₹ 50.00 crore for Swacch Bharat Mission
- Construction of 7,000 houses in urban areas by Rajasthan Housing Board.

Labour & Labour Welfare

- Provision of ₹ 136.07 crore for ITI
- Provision of ₹ 41.31 crore for Employment Department, out of this ₹ 35.00 crore for Honorarium to unemployed people
- Provision of ₹ 78.20 crore for Labour Department, out of this ₹ 77.88 crore earmark for Rastriya Swasthiya Bima Yojana (RSBY)

Welfare of Backward Classes & Social Welfare

- Provision of ₹ 1,238.69 crore for welfare of SC/ST/Other Backward Classes and Social Welfare
- Provision includes ₹ 481.02 crore for Post-Matric Scholarship to SC/ST/OBC Students
  - Target to benefit 787684 students

- Provision of ₹ 20.56 crore for construction of various Hostel Buildings
- Provision of ₹ 40.60 crore to provide infrastructure facilities in 200 Sambal Villages
- Provision of ₹ 11.00 crore for Protection of Civil Rights to SCs/STs
- Provision of ₹ 5.00 crore as matching assistance to RSCSTFDCC
- Provision of ₹ 2.25 crore for "Anupriti Scheme" to provide financial assistance to SC/ST students for the preparation of various exams
- Provision of ₹ 16.00 crore for Sahayog Scheme to provide financial assistance ₹ 10,000 to BPL families for daughter marriage
- Provision of ₹ 116.55 crore for Devnarayan Yojana
- Provision of ₹ 273.08 crore for Old-age Pension under NSAP
  - To provide old-age pension to 9.16 lakh persons
- Provision of ₹ 17.53 crore for Jan Shree Bima Yojana under NSAP
  - Life insurance coverage to 27.40 lakh BPL families
- Provision of ₹ 51.08 crore for Indira Gandhi Rastriya Widow Pension Yojana under NSAP
  - To provide widow pension to 1.42 lakh persons
- Provision of ₹ 10.15 crore for Indira Gandhi Rastriya Disability Pension Yojana under NSAP
  - To provide Special Abled pension to 28196 persons
- Provision of ₹ 0.23 crore for Women Welfare
- Provision of ₹ 1.80 crore for establishment of Old Age Homes

Directorate of Specially Abled Persons

- Provision of ₹ 34.64 crore for Directorate of Specially Abled Persons
  - Prosthetic Aid to 6,700 persons
  - Scholarship to 3460 Specially Abled Students
  - 1630 persons benefitted under Mukhya Mantri Vishesh Yogyjan Swarojagar Yojana

Tribal Area Development

- Provision of ₹ 108.35 crore as Special Central Assistance (SCA)
- Provision of ₹ 122.23 crore under Article 275(1) of the Constitution
- Provision of ₹ 290.92 crore as untied grant under the "Janjati Kalyan Nidhi" for the development of tribal areas
- Provision of ₹ 14.10 crore under Saharia Development CCD Scheme
- Provision of ₹ 0.70 crore for Tribal Research and Training Institute
- Provision of ₹10.00 crore for Van Bandu Kalyan Yojana
- Provision of ₹10.23 crore for Construction & Modernization of Ashram Hostels (Girls)

Women and Children Development

- Provision of ₹ 79.35 crore for Women Development programme
  - Payment of Honorarium to Sathins
  - For imparting training in managerial capacity building and income generation activities.
  - For providing grant for Community Marriages.
  - For providing assistance to Women SHGs as incentive in rate of interest for timely repayment of loan.
- Provision of ₹ 1,598.97 crore for Nutrition
  - To benefit 53.21 lacs children and women through Supplementary Nutrition
  - For payment of Honorarium to Anganwari Workers and Helpers
  - For administration and training under ICDS
  - Construction of Anganwari Centres Building

Minority Development

- Provision of ₹ 92.01 crore for Minority Development Programme
- Provision of ₹ 2.45 crore for Madarsa Board
- Provision of ₹ 63.32 crore for Madarsa Schools
- Provision of ₹ 1.50 crore for Hostel Building for Minority Girl
- Provision of ₹ 2.00 crore for Employment scheme for Minority Boys and Girls Student
- Provision of ₹ 0.10 crore for Vocational and Technical Education Scholarship Scheme for Minority Candidates
- Provision of ₹ 3.00 crore for loan to Rajasthan Minority Finance & Development Cooperative Cooperation
- Provision of ₹ 4.00 crore for Hostel Building for Minorities
- Provision of ₹ 10.23 crores for Minority Sector Development Programme

Directorate of Child Empowerment

- Provision of ₹ 239.45 crore for Directorate of Child Empowerment
- Provision includes of ₹ 171.13 crore for Palanhar Yojana for providing care to destitute children and two children of Widow Pensioner through close relatives
- Provision includes of ₹ 60.00 crore for Integrated Child Protection Scheme
- Provision includes of ₹ 5.11 crore for Construction of Observation/Children House Building

X. Economic Services

- Provision of ₹ 136.47 crore for Tourism Department

- Provision of ₹ 176.00 crore for Rajasthan Rural Livelihood Project (RRLP).
- Provision of ₹ 621.29 crore for Information Technology & Communication Department
- Provision of ₹ 377.42 crore for Food & Civil Supply includes funds of ₹ 250.76 crore for National Food Security Scheme
- Provision of ₹ 4.11 crore for D.O.P. Secretariat for various construction works.
- Provision of ₹ 210.82 crore for Economic & Statistics Department includes ₹ 183.54 crore of Bhamashah Scheme.

XI. General Services

- Provision of ₹ 62.57 crore for Jail Buildings,
- Provision of ₹ 92.17 crore for Police Buildings,
- Provision of ₹ 182.62 crore for New High Court Building at Jodhpur and other Judicial Buildings,
- Provision of ₹ 17.83 crore for GAD Buildings,
- Provision of ₹ 14.00 crore for Excise Department.
- Provision of ₹ 25.58 crore for Treasuries & Accounts.
- Provision of ₹ 11.15 crore for Stamp & Registration.
- Provision of ₹ 316.20 crore for grant under Rajasthan Investment Promotion Policy-2003.
- Provision of ₹ 30.00 crore for Civil Aviation.
- Provision of ₹ 46.68 crore for Devasthan Department, out of this provision ₹ 15.00 crore earmarked for Varistha Nagrik Tirth Yojana.

****